

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनू

पीठारीन अधिकारी :- गजेन्द्र सिंह
तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का गुडा
बनाम

श्री श्रवण पुत्र महादेव जाति माली निवारी गुडा
तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज० भू. राजस्व अधिनियम, 1956

-:निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 36/22

दिनांक 31.05.2022

. पत्रावली आज घारते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण रतितपा न इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गुडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि सवत 2079 में मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा के हाल भूमि खसरा नम्बर 197 कुल रकबा 0.0600 है० किन्म घाही 1 रकबा 0.05 है. व बंजड डोल रकबा 0.01 है. में से 0.0150 है० सरकारी भूमि पर श्री श्रवण पुत्र महादेव जाति माली निवारी गुडा ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बायजूद तामिल ईतला के अनुपस्थित रहा। उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थीगण को राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा के हाल भूमि खसरा नम्बर 197 कुल रकबा 0.0600 है० किन्म घाही 1 रकबा 0.05 है. व बंजड डोल रकबा 0.01 है. में से 0.0150 है० सरकारी भूमि श्री श्रवण पुत्र महादेव जाति माली निवारी गुडा को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं. साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.20 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 10/- रुपये (अक्षरे रू. दस मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू०अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू० अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें।

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 31.05.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

३०२२-२३ १०-५३
१०२५ १०२५
Rajendra

तहसीलदार उदयपुरवाटी
तहसील झुन्झुनू उदयपुरवाटी